GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
LEVEL - II, A - WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI

NO.F.No.IB/6944/GAD/Admn./RR/2019/673 Dated:- 20/10/2022

Subject : Invitation of the comments of the stakeholder on draft Recruitment Rules for the post of Multi Tasking Staff (MTS).

This department is in process of finalising the Recruitment Rules for the post of Multi Tasking Staff (MTS).

The draft Recruitment Rules/Service Rules for the post of Multi Tasking Staff (MTS) has been uploaded on the web portal of General Administration Department(http://web.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_gad/GAD/ Home/).

All the stakeholders may see the detail draft Recruitment Rules for the post of Multi Tasking Staff (MTS) and may submit their comments (if any), through email address (gad.admn@gmail.com) with subject **"Comments on the Recruitment Rules for the post of Multi Tasking Staff (MTS)"** within 15 days of issue of this circular/uploading so that Recruitment Rules may be notified at the earliest.

The email/comments must mention the subject **"Comments on the Recruitment Rules for the post of Multi Tasking Staff (MTS)"** for necessary action.

(Promila Mitra)
Dy. Secy. (Admn.)

To
All Stakeholders

Copy to following for information :-

1. PPS to ACS (GAD), Delhi Secretariat,
2. PPS to Secretary, Delhi Secretariat,
3. PPS to Addl. Secretariat, Delhi Secretariat,
4. Dy. Secretary (I,II, III and IV), Delhi Secretariat,
5. Dy. Secretary (Services -IV), Delhi Secretariat,
6. Dy. Secretary (IT), with the request to upload this letter on the main page of the website of GAD (http://web.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_gad/GAD/Home/)

(Promila Mitra)
Dy. Secy. (Admn.)

O.C.

74/c

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–02.

सं०फा० 08(04)/2018/क०सं० एवं भाषा/1770 दिनांक: 16/08/22

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)
सामान्य प्रशासन विभाग,
लेवल – 2, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय,
नई दिल्ली ।

विषय: भर्ती नियम संबंधी अधिसूचना के हिन्दी अनुवाद के संबंध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस विभाग में प्राप्त दिनांक 12.08.2022 के पत्र सं0 **सं0** 1बी/6944/जीएडी/प्रशा0/आरआर/एमटीएस/2019/2310 के माध्यम से प्राप्त अंग्रेजी सामग्री का हिन्दी अनुवाद संलग्न है।

1. यदि इस रूपान्तरण में विभागीय अपेक्षानुसार कोई परिवर्तन आवश्यक हो, तो कृपया तद्नुसार संशोधन कर लें।
2. कृपया इसकी प्राप्ति से सूचित करें।

भवदीय

हिन्दी अधिकारी
(कला, संस्कृति एवं भाषा)

संलग्नः– हिन्दी रूपान्तरण

GEN. ADMN. DEPTT.
17 AUG 2022
Diary No. 66
Govt. of NCT of Delhi

DW

Sh. Malik

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(सामान्य प्रशासन विभाग)

सं0 1बी/6944/जीएडी/प्रशा0/आरआर/एमटीएस/2019/ दिनांक ....

अधिसूचना

सं0 1बी/6944/जीएडी/प्रशा0/आरआर/एमटीएस/2019 – गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जीएसआर 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)'' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (i) इन नियमों को ''मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)''भर्ती नियमावली, 2022 कहा जायेगा। **(ii)** ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :–** पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3 **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता इत्यादि :–** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–** ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः–** इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

सामान्य प्रशासन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)" के पद हेतु भर्ती नियम ।

1	पदनाम	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
2	पदो की संख्या	:	96 (2022) * परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है
3	वर्गीकरण	:	समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन **स्तर**	:	**स्तर** : 1 (18000—56900 / —रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी** भर्ती वाले उम्मीदवारों **के लिए आयु सीमा**	:	18—25 वर्ष के बीच टीप — आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि डीएसएसएसबी / सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञाप्ति होगी । यदि भर्ती रोजगार केन्द्र के माध्यम से की जाती है तो आयु सीमा निर्धारित करने की अन्तिम तिथि वह होगी जिसे रोजगार केन्द्र में नाम प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि माना गया है । यदि में एमटीएस के पद के लिए भर्ती डीएसएसएसबी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारया किसी अन्य समान भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जाती है तो उस स्थिति में आयु सीमा 18—27 वर्ष के रूप में निर्धारित की जा सकती है अन्यथा 18—25 वर्ष तक रखा जा सकता है ।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण अथवा आईटीआई उत्तीर्ण * * पद की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया जा सकता है , यदि कोई हो ।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं

9	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ सीनान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	स्थायीकरण के विचारार्थ 'ग' वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समितिः 1. प्रधान सचिव / सचिव (श्रम) – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य 3. उप सचिव (सेवाएं) – सदस्य
13.	वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(प्रोमिला मित्रा)
उप सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग

सं0 1बी/6944/जीएडी/प्रशा0/आरआर/एमटीएस/2019/ दिनांकः ....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :

1. अपर मुख्य सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
2. सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली
3. उप सचिव (सेवाएं) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
4. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली ।
5. समन्वय विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग –4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ। कृपया इस विभाग तथा सेवाएं –4 विभाग को राजपत्र की पांच प्रतियां कार्यालय प्रयोगार्थ अलग – अलग भिजवाएं ।

(प्रोमिला मित्रा)
उप सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART-IV EXTRA ORDINARY) "DRAFT"
Government of the National Capital Territory of Delhi
(General Administration Department)

68/c

No. 1B/6944/GAD/Admn./RR/MTS/2019/ Dated ______ 2022

NOTIFICATION

No.1B/6944/GAD/Admn./RR/MTS/2019 -- In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification number G.S.R. 840 dated the 13th July, 1959 the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **"MULTI TASKING STAFF (MTS)"**, in the General Administration Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (i) These rules may be called **"MULTI TASKING STAFF (MTS)"** Recruitment Rules, 2022. (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, classification and Level in the Pay Matrix.** - The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached with these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualification, etc..** - The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** - No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

"DRAFT"

67/C

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF MULTI TASKING STAFF (MTS) IN GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, GOVT. OF NCT OF DELHI.

NAME OF THE POST	NUMBER OF POST	CLASSIFICATION	LEVEL IN PAY MATRIX	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MULTI TASKING STAFF (MTS)	96* (2022)* SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD.	GROUP-C, NON-GAZETTED, NON-MINISTERIAL.	LEVEL-I (Rs. 18000-56900).	NOT APPLICABLE.

AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	EDUCDCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION IF ANY.	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION / ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18-25 Years. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names. ***If recruitment for the post of MTS in GNCTD is made through DSSSB or any other similar recruitment agencies in that case the age limit may be prescribed as 18-27 years otherwise the same may be kept as 18-25 years.**	MATRICULATION **OR** ITS EQUIVALENT PASS FROM RECOGNISED BOARD / UNIVERSITY **OR** ITI PASS* *May be adopted as per special requirements of the post, if any.	NOT APPLICABLE .	TWO YEARS.	BY DIRECT RECRUITMENT.

66/c

IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
(11)	(12)	(13)
NOT APPLICABLE.	GROUP 'C' DEPARTMENTAL COFIRMATION COMMITTEE FOR CONSIDERING CONFIRMATION: 1. PRINCIPAL SECRETARY/SECRETARY (LABOUR) - CHAIRPERSON 2. HEAD OF DEPARTMENT CONCERNED - MEMBER 3. DEPUTY SECRETARY (SERVICES)-MEMBER.	NOT APPLICABLE.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PROMILA MITRA, DY. SECRETARY, GAD
Dated:____________2022

No. 1B/6944/GAD/Admn./RR/MTS/2019
Copy forwarded for information and necessary action to the :- Dated____________2022

1. Addl. Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi.
2. Secretary to Lt. Governor, Delhi.
3. Dy. Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi.
4. O.S.D. to Chief Secretary, Delhi.
5. Co-ordination Department, Govt. of NCT of Delhi, in duplicate, for publication in Delhi Gazette, Part-IV (Extra Ordinary). 05 copies of the Gazette may please be supplied to this Department and Services –IV Department, separately, for official use.

(PROMILA MITRA),
DY. SECRETARY, GAD